Drinking water to urban areas in Tamil Nadu

5175. SHRI S. AUSTIN : Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of schemes accorded approval for providing drinking water to urban areas in Tamil Nadu during the last three years;

(b) the funds allocated for the implementation of these schemes, schemewise; and

(c) the towns and cities of the State for whom these schemes have been cleared ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON) : (a) No schemes were accorded approval for providing drinking water to urban areas in Tamil Nadu during 1991-92 and 1992-93. However, in the year 1993-94, 15 towns have been accorded approval for providing drinking water under the newly launched Accelerated Urban Water Supply Programme for towns having population less than 20,000.

(b) and (c) Names of towns and the amount allocated against each are given in the Annexure. [*See* Appendix 170, Annexure No. 100].

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय योजनाएं

5176. श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार ने सेवा-निवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों तथा सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुप्रयोज्य भिन्न-भिन्न आवासीय योजनाओं की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और सरकारी कर्मचारियों के बीच इस प्रकार के भेदभाव के कारण क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, नहीं । सरकार ने सेवा-निवृत्त/सेवा-निवृत्त होने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अलग से आवास स्कीमें नहीं बनायी हैं । तथापि केन्द्र सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन द्वारा, जो कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है और जिसे भारत सरकार द्वारा, सहायता दी जाती है, देश के विभिन्न भागों में चलायी जा रही स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो सेवा निवृत्त हो रहे हैं अथवा 5 वर्ष की अवधि के भीतर सेवा-निवृत्त हुए कर्मचारी मकान अर्जित कर सकते हैं । अतः सरकारी कर्मचारियों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है ।

राष्ट्रीय पेयजल मिशन

5177. **श्री राम जेठमलानी** :

श्री बीरेन जे. शाह :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि सरकार ने देश में "राष्ट्रीय पेय जल मिशन" की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस मिशन की स्थापना कब की गई थी और इस मिशन के औसत वार्षिक बजट में कितनी धनराशि रखी गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक पेय जल की सुविधा प्रदान करने के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में उन गांवों की संख्या कितनी है जहां पेय जल की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) वर्ष 1993-94 के अंत तक निर्धारित लक्ष्य का कितना "प्रतिशत प्राप्त" किया जा सका है; और

(च) "राष्ट्रीय पेय जल मिशन" द्वारा पेय जल की सुविधा प्रदान करने के संबंध में

निभाई जाने वाली भूमिका का पूरा ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पेयजल मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1986 में गठित किया गया था । 1991 में इसका नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। 1986-87 से 1990-91 तक औसतन वार्षिक बजट 386 करोड़ रूपये तथा 1991-1992 से 1994-95 तक 712 करोड़ रूपये था ।

(ग) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में पूरी अलाभान्वित ग्रामीण आबादी को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने की परिकल्पना है । लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किये गये हैं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 2 वर्षों के दौरान लक्ष्यों की उपलब्धि इस प्रकार है :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1992–93	33,533	34,360	102
1993–94	40,187	34,221 (फरवरी '94 तक)	85

(च) मिशन की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं :—

— राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को ग्रामीण सुलभ जल आपूर्ति कार्यक्रम लघु मिशन तथा उप-मिशन के तहत केन्द्रीय सहायता द्वारा राज्य सेक्टर के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके प्रयासों को बढ़ाने हेतु तकनीकी दिशानिर्देश/सहायता मुहैया कराना;

— जल गुणता निरीक्षण और सुधार;

— वैज्ञानिक स्रोतों की खोज, जल का अर्जन तथा जल संरक्षण का सर्वेक्षण;

— उन जिलों में प्रयोगशालाएं गठित करना, जहां ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है;

— संचालन तथा अनुरक्षण सुधार, सामुदायिक भागीदारी तथा राज्यों में सूचना शिक्षा तथा दूरसंचार सेल (आई.ई.सी.) की स्थापना ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित खाली पड़ी दुकानें, फ्लैट तथा व्यापारिक परिसर

5178. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री वीरेन जे. शाह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित खाली पड़ी दुकानों, फ्लैटों तथा व्यापारिक परिसरों की संख्या कितनी है;

(ख) ये किन-किन स्थानों पर कब से खाली पड़े हैं तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) इन दुकानों, फ्लैटों तथा अन्य व्यापारिक परिसरों की बिक्री के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) एक दुकान, फ्लैट आदि की निर्माण लागत कितनी है तथा इसका निर्धारित आरक्षित मूल्य और बिक्री मूल्य कितना है;

(ङ) जिस भूमि पर इन दुकानों और फ्लैटों का निर्माण किया गया है वह कब खरीदी गई थी और दुकान, फ्लैट के लिए तथा सामूहिक आवास समितियों को यह जमीन किस मूल्य पर दी जा रही है; और

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मुनाफा कमाए जाने के कारण क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1-4-93 को सर्वे के दौरान 3850 दुकानें खाली पाई गई थी । इस समय 98 वाणिज्यिक भूखण्ड खाली पड़े हैं । फ्लैटों के मामले में आंकड़े समय-समय पर बदलते रहते हैं क्योंकि उनका निर्माण, आबंटन और कब्जा लेना एक सतत प्रक्रिया है ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित 3850 दुकानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है । (नीचे देखिए) 1-4-90 से 31-3-94 तक खाली पड़ी और बनी हुई 2661